दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
मुख्य अभीरक्षक - छात्रावास

दिनांकः 7 अक्टूबर, 2021

विधि विभाग के छात्र-छात्राओं को छात्रावास आवंटन/ छोड़ने की सूचना

1. एलएल०बी० तृतीय सेमेस्टर, 2021-22 के छात्र-छात्राओं, जो छात्रावास आवंटन के लिए इच्छुक हैं उन्हें एक आवेदन पत्र के साथ अपने प्रथम सेमेस्टर के एडमिट कार्ड/ फीस रसीद, व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर संबंधित हॉस्टल के कार्यालय में दिनांक 11/10/2021 तक जमा करना होगा, जिससे आवंटन हेतु फार्म जनरेट किया जा सके। छात्रावास आवंटन उनके प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
2. एलएल०बी० पंचम सेमेस्टर, 2021-22 में जाने वाले छात्रावास पुनर्आवंटन के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को एक आवेदन पत्र के साथ अपने 2019-20 के प्रथम आवंटन पत्र/ फीस रसीद व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर संबंधित छात्रावास के कार्यालय में दिनांक 11/10/2021 तक जमा करना होगा, जिससे आवंटन हेतु फार्म जनरेट किया जा सके।
3. एलएल०बी० षष्टम सेमेस्टर के वे छात्र-छात्राएं जिनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं किंतु फिर भी उन्होंने अपना कमरा खाली नहीं किया है, उन्हें दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को सायं 5:00 बजे तक अपने छात्रावास में आवंटित कमरा छोड़ने/ संबंधित कर्मचारी को चार्ज देने का निर्देश दिया जाता है, जिससे नए विद्यार्थियों को इन कमरों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। नियत तिथि तक छात्रावास न छोड़ना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. एलएल०एम० चतुर्थ सेमेस्टर के वे छात्र-छात्राएं जिनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं किंतु ट्यूटोरियल बाकी है, उन्हें भी ट्यूटोरियल की अंतिम तिथि को अपने छात्रावास में आवंटित कमरा छोड़ने/ संबंधित कर्मचारी को चार्ज देने का निर्देश दिया जाता है।

आज्ञा से

(प्रो एस के सिंह)
मुख्य अभीरक्षक
दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रतिलिपिः 1. प्रभारी- ऑनलाइन सेल, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; वेबसाइट पर सूचना जारी करने हेतु
2. अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, विधि विभाग, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु
3. अभीरक्षक, रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. अभीरक्षक, विवेकानंद छात्रावास, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; आवश्यक कार्यवाही हेतु

(प्रो एस के सिंह)

Scanned with CamScanner